

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 1975/आषाढ़ 13, 1897

No. 127]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 1975/ASADHA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th July 1975

No. DRAWBACK/PN-54/75.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-53/75, dated the 17th June, 1975, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary, the Central Government hereby makes the following corrections therein:—

I. Under the Column description against sub-serial No. 1924, and after "Polystyrene moulding powder" the following shall be inserted :

" , Polyamide moulding powder"

II. In Clause (i) of sub-serial No. 1924 for the words 'acrylic moulding powder sheets etc.' read 'Polystyrene moulding powder'.

III. The description of Clause (ii) of sub-serial No. 1924 shall be substituted by:—

"(ii) where plastic materials used do not include polystyrene moulding powder but include acrylic moulding powder, sheets etc"

IV. In sub-item (b) of item (III) of Sub-clause (I) of Clause (A) of sub-serial No. 2503 for 'Rs. 20 03 (Rupees twenty and paise three only) per kg.' read 'Rs. 20.08 (Rupees twenty and paise eight only) per kg.'.

- V. In sub-item (viii) of item (e) of sub-clause, (VI) of Clause (A) of sub-serial No. 2503 for 'Rs. 30,' read 'Rs. 0.30'.
- VI. In Clause (2) of sub-serial No. 2513, 2620 and 2720 for the words 'Textured' read 'Textured'.
- VII. In the description column, against sub-serial No. 2621 the word 'and' shall be omitted.
- VIII. Under the column, Rate of drawback, against sub-serial No. 3640 (h) (ii) for 'Rs. 581.60 (Rupees five hundred eighty one and paise sixty only)' read 'Rs. 591.60 (Rupees five hundred ninety one and paise sixty only)'.
- IX. Under the column, Rate of drawback, against sub-serial No. 3640 (i) (ii) for 'Rs. 694.50 (Rupees six hundred ninety four and paise fifty only)' read 'Rs. 694.90 (Rupees six hundred ninety four and paise ninety only)'.
- X. Under the column, Rate of drawback, against sub-serial No. 3815 for 'Rs. 3.25 (Rupees three and paise twenty five only)' read 'Rs. 5.00 (Rupees five only)'.
- XI. Under column, Rate of drawback, against item (b) of sub-serial No. 3824 after the words 'tin plate' the word 'containers' may be inserted.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू०-54/75.—भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I, खण्ड (1) में प्रकाशित दिनांक 17 जून, 1975 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 53/75 में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

I. उप-क्रमांक 1924 के सामने विवरण स्तम्भ में और 'पोलिस्ट्रीन मोलिङ्ग पाउडर' के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा :

"पोलिएमाइड मोलिङ्ग पाउडर"

II. उप-क्रमांक 1924 के खण्ड (i) में "एक्रिलिक मोलिङ्ग पाउडर, चादरें आदि" के स्थान पर 'पोलिस्ट्रीन मोलिङ्ग पाउडर' पढ़िये ।

III. उप-क्रमांक 1924 के खण्ड (ii) के विवरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा : —

"(ii) जहां प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पोलिस्ट्रीन मोलिङ्ग पाउडर शामिल नहीं है परन्तु एक्रिलिक मोलिङ्ग पाउडर, चादरें आदि शामिल हैं ।"

IV. उप-क्रमांक 2503 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (I) की मद (III) की उप-मद (ख) में "20.03 रु० (केवल बीस रु० तीन पैसे) प्रति किलोग्राम" के स्थान पर, "20.08 पैसे (केवल बीस रुपये आठ पैसे) प्रति किलोग्राम" पढ़िये ।

V. उप-क्रमांक 2503 के खण्ड (क) के उपखण्ड (vi) की मद (छ) की उप-मद (viii) में "30 रुपये" के स्थान पर "0.30 रुपये" पढ़िये ।

- VI. उप-क्रमांक 2513 के खण्ड (2), उप-क्रमांक 2620 और 2720 में "टर्क्सेड" शब्द के स्थान पर "टक्सचर्ड" पढ़िये ।
- VII. उप-क्रमांक 2621 के सामने के विवरण स्तम्भ में से "और" शब्द हटाया जाय ।
- VIII. उप-क्रमांक 3640 (ग) (ii) के सामने के "प्रतिभ्रदायगी की दर" स्तम्भ में "581.60 रुपये (केवल पांच सौ इक्यासी रुपये और साठ पैसे)" के स्थान पर 591.60 रुपये (केवल पांच सौ इक्यानवे रुपये और साठ पैसे)" पढ़िये ।
- IX. उप-क्रमांक 3640 (घ) (ii) के सामने के "प्रतिभ्रदायगी की दर" स्तम्भ में "694.50 रुपये (केवल छः सौ चौरानवे रुपये और पचास पैसे)" के स्थान पर "694.90 (केवल छः सौ चौरानवे रुपये और नब्बे पैसे)" पढ़िये ।
- X. उप-क्रमांक 3815 के सामने के "प्रतिभ्रदायगी की दर" स्तम्भ में "3.25 रु० (केवल तीन रुपये पच्चीस पैसे)" के स्थान पर, "5.00 रु० - (केवल पांच रुपये)" पढ़िये ।
- XI. उप-क्रमांक 3824 की मद (ख) के सामने के "प्रतिभ्रदायगी की दर" स्तम्भ में "टिन प्लेट" शब्दों के बाद "आधान-पात्र" शब्द अन्तःस्थापित किये जायें।

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th July, 1975

No. DRAW BACK/PN-55/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52-F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice, No. DRAWBACK/PN-I dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 2205 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub. Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
2205	Plywood cases other than Tea Chests:—	
	(i) Panels of surface area 5625 Sq. Cm. or less each.	Rs.99.00 (Rupees ninety nine only) per 100 Square Metres of such panels.
	(ii) Panels of surface area exceed 5625 Square Cm. each.	Rs. 187.00 (Rupees one hundred and eighty seven only) per 100 Square metres of such panels.

Explanation:—(1) The rate under sub-serial No.2205 is for 4mm thickness of plywood panels. The rate shall be proportionately enhanced or reduced for other thickness.

(2) The drawback per 100 Square metres of glue line prescribed under sub-serial No. 2204 shall be allowed in addition to the rates prescribed under sub-serial No. 2205.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-55/75.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70- प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एवद्धारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 2205 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
2205	चाय की पेटियों से भिन्न प्लाइवुड की पेटियां—	
	(i) वे फलक जिनमें से प्रत्येक का सतह क्षेत्र 5625 वर्ग से०मी० या उससे कम हो।	ऐसे फलकों के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 99.00 रु० (केवल नित्यानवे रुपये)।
	(ii) वे फलक जिनमें से प्रत्येक का सतह क्षेत्र 5625 से०मी० से अधिक हो।	ऐसे फलकों के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 187.00 रु० (केवल एक सौ सतासी रुपये)।

स्पष्टीकरण.—(1) उप क्रम संख्या 2205 के अन्तर्गत वी गई दर प्लाइवुड के 4 मि०मी० मोटाई वाले फलकों के लिए हैं। अन्य मोटाइयों के लिए यह दर अनुपाततः बढ़ा या घटा दी जायगी।

(2) उप क्रम संख्या 2205 में निर्धारित दरों के अलावा ग्लू लाइन के प्रति 100 वर्ग मीटर पर उप क्रम संख्या 2204 के निर्धारित प्रतिअदायगी देय होगी।

सी० सुजंगस्वामी, उप-सचिव।